

परिशिष्ट २

1. अभयारण्य एवं ब्लॉक का नाम.—पचमढ़ी अभयारण्य.
2. जिला.—होशंगाबाद.
3. तहसील सोहागपुर.
4. परिक्षेत्र.—पचमढ़ी एवं पिपरिया.
5. क्षेत्र का रकबा.—६५४.४९ वर्ग कि. मी. या ६५४४९ हेक्टर.

सीमा

- उत्तर.—दमड़ी परिक्षेत्र की सीमा.
 पूर्व.—छिंदवाड़ा जिला सीमा.
 दक्षिण.—छिंदवाड़ा जिला सीमा.
 पश्चिम.—श्रीगंज अभयारण्य की सीमा.

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अभिसूचना क्र. १३१३-६०८-दस-२-७५, दिनांक २२ मार्च १९७५ एतद्वारा निरस्त की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 बी. सेन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक १ जून १९७७.

क्र. १५-२२-७६-दस-२.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के क्लॉज (३) के अन्वय में, इस विभाग के आदेश क्र. १५-२२-७६-दस-२, दिनांक १ जून १९७७ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार में एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 बी. सेन, उपसचिव.

Bhopal, the 1st June 1977.

No. F. 15-22-76-X (2).—In exercise of the powers conferred by section 10 (1) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (Act of 1972), the Madhya Pradesh Government hereby declare the Lands specified in Schedule I and II below as Game Sanctuaries under the Act, for all animals and birds in the said sanctuaries:—

Schedule I

1. Name of sanctuary—Bori Sanctuary.
2. District—Hoshangabad.
3. Tehsil—Sohagpur.
4. Range—Bori, Sukhtawa, Bagra, Sohagpur.
5. Area—802.89 Sq. Km. or 80289 Hectare.

Boundaries

- North—Denwa River.
 East—Boundary of Pachmarhi Range and Piparia range.
 South—Betul division boundary.
 West—Tawa River.

Schedule II

1. Name of Sanctuary—Pachmarhi Sanctuary.
2. District—Hoshangabad.
3. Tahsil—Sohagpur.
4. Range—Pachmarhi and Piparia.
5. Area—654.49 Sq. Km. or 65449 Hectare.

Boundaries

- North—Bankhedi Ranges boundary.
 East—Chhindwara District boundary.
 South—Chhindwara District boundary.
 West—Boundary of Bori Game Sanctuary.

Madhya Pradesh, Forest Department Notification No. 1313-608-X-2-75, dated the 22nd March 1977 hereby cancelled.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
 B. SEN, Dy. Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

भोपाल, दिनांक २१ मई १९७७.

क्र. ५४५९-३६११-ग्यारह-अ.—इंडियन वायलर एक्ट, १९२३ की धारा ३४(२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, ओरिएण्टल पेपर मिल्स लि., अमलाई के वायलर क्रमांक एम. पी.-३१७३ के निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा १(१) के उपबंधों के प्रवर्तन में दिनांक ४ जून से १ जुलाई १९७७ तक को निलंबित करता है:—

- (१) सन्दर्भाधीन वायलर को पकड़ने वाली किसी भी शक्ति की मचना भारतीय वायलर अधिनियम १९२३ की धारा १८(१) की अपेक्षानुसार, इत्यादि वायलर मध्य प्रदेश, इन्दौर को जारी की जावेगी एवं दुरुस्त होने के दिनांक से पूर्व के मान्यता समाप्त समझी जावेगी;
- (२) मध्य प्रदेश अधिनियम की धारा १५ तथा १५(१) के अन्वयानुसार वायलर मध्य निरीक्षक, मध्य प्रदेश के पूर्वनिर्देशन के बिना सन्दर्भाधीन वायलर को किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्तन, नवीनीकरण नहीं किया जायेगा;
- (३) सन्दर्भाधीन वायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किया जाने पर यदि वह स्तरनाक सिद्ध होता है तो वह हट्ट समाप्त हो जावेगी;
- (४) नियतकालिक सफाई और निरीक्षण के निमित्त निकालने (रिग्युलर ब्लोडाउन) का प्रयोजन किया जायेगा और उसका अभिलेख रखा जायेगा;
- (५) मध्य प्रदेश वायलर निरीक्षण नियम १९६३ की धारा ६ की अपेक्षानुसार सन्दर्भाधीन वायलर के वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर किया जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 कि. वि. सिंह, सचिव.

172

172

Bori WLS

XX अधिकृतनाXX

परिशिष्ट नम्बर

दिनांक 1/6/77

15/22/75-10(8)

कार्ड लार्ज (प्रोटेक्शन) एक्ट 1972 को धारा 10(1) द्वारा प्रकृत अधिकारी
द्वारा मध्य प्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट प्र 1 एवं 2 में दर्शाये गये शर्तों की समझ वक
आदी तथा पशुओं के स्वतंत्र अभ्यास्य घोषित करता है।
परिशिष्ट प्र 01

अभ्यास्य एवं ब्लॉक का नाम :- बीरी अभ्यास्य

2-
3-
4-
5-

जिला - हीरागाबाद

तहसील - सीरागमूर

परिशिष्ट - बीरी, सुबतवा, बगरा, सीरागमूर

क्षेत्र का एरर 802 89 वर्ग कि० मी० या 80289 हेक्टर
सीमा

उत्तर-
पूर्व-
दक्षिण-
पश्चिम-

दैनवा नदी

पचमढी एवं पिपरिया परिशिष्ट की सीमा

बैतुल वन मंडल की सीमा

तवा नदी

परिशिष्ट-2

अभ्यास्य एवं ब्लॉक का नाम - पचमढी अभ्यास्य ?

1-
2-
3-
4-
5-

जिला - हीरागाबाद

तहसील - सीरागमूर

परिशिष्ट - पचमढी एवं पिपरिया

क्षेत्र का एरर 654 ~~49~~ ^{654.49} वर्ग कि० मी० या 65449 हेक्टर
सीमा

उत्तर-
पूर्व-
दक्षिण-
पश्चिम-
दूर-

अनन्दी परिशिष्ट की सीमा

बिंदवा जिला सीमा

बिंदवाहा जिला सीमा

बीरी अभ्यास्य की सीमा

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग की अधिस्तना क्रमिक

दिनांक 22 मार्च 1975 एवं कानून-निस्त को धारा